



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 282 राँची, बुधवार,

15 जून, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

7 जून, 2022

संख्या-14/आ०-124 (क)/2016 (खण्ड)- 2256--श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से०, तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची, सम्प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय ज्ञापन संख्या-2177, दिनांक 13.04.2018 के परिशिष्ट-'क' के आधार पर यह आरोप गठित किया गया कि झारखण्ड में सम्पन्न द्विवार्षिक राज्य सभा चुनाव-2016 में पद का दुरुपयोग कर वोटर्स के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप प्रथम द्रष्टया सत्य पाया गया, जो अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम 5(1) एवं 5(4) का उल्लंघन एवं नियम 3(1) के प्रतिकूल है।

2. उपरोक्त आरोप की जाँच के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-1593, दिनांक 19.03.2019 एवं संकल्प संख्या-1156, दिनांक 05.03.2020 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई ।

3. संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक-85/गो०, दिनांक 28.09.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से०, तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची, सम्प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश चन्द्र ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव ।
